बीस रुपये TWENTY RUPEES

146

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्र. कोर्ट नं. 1/ 2016/रेस्टोरेशन — 9094-I-16

जिला छतरपुर

(1) नन्दलाल (2) अनन्तराम पुत्रगण रामचरण अहिरवार (3) गंगाराम पुत्र बाबूलाल समस्त निवासीगण ग्राम चरईपुरा तहसील (पूर्व लोड़ी) वर्तमान चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0

-----आवेदकगण

17-6-16

विरूद्ध

म0प्र0 शासन – ––अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र प्रकरण क्रमांक निगरानी 2285 दो 2006 नन्दलाल बगैरा बनाम शासन जिला छतरपुर को दिनांक 20.05.2016 को अदम पैरवी में होने से रेस्टोरेशन बावत्

महोदय,

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रार्थीगण ग्राम चरहीपुरवा के निवासी होकर आर्थिक रूप से पिछडे होने व हरिजन होकर शासन द्वारा दिये गये पटटे पर कृषि का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे है।
2. यहकि, प्रार्थीगण की निगरान दिनांक 20.05.2016 को माननीय न्यायालय में प्रकरण रिकोर्ड बुलाये जाने हेुत नियत था।
3. यहकि, प्रार्थीगण न्यायालय से 300 किलोमीटर दूर निवास करते है। उनका हर पेशी पर आना आर्थिक रूप से खर्च होने के कारण सम्भव नहीं है। तथा उनके अभिभाषक द्वारा बताया गया था कि प्रकरण में रिकोर्ड आने पर बहस होने पर न्यायालय में सूचित होने पर उपस्थित होना होगा। इस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय की पेशी की सूचना नही थी। तथा वह इस कारण वक्त पुकार न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

17-6-16

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 9094—एक/16 जिला —छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व मण्डल का प्रकरण कमांक निगरानी 2285—दो/06 में अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 20.5.16 को प्रकरण खारिज कर दिया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण अभिलेख बुलाने के लिये नियत था लेकिन किसी कारण वस उपस्थित नहीं हो सके । 2— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । तर्कानुसार आवेदक अनुपस्थित होने का कोई ठोस आधार नहीं बता सके है। अतः आवेदक अधिवक्ता पर 500/— का कोस्ट जमा करने पर रेस्टो0 आवेदन स्वीकार किया जाता है । आवेदक अधिवक्ता सूचित हो। सदस्य	